न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

कुमारी अनुराधा बनाम महादेव प्रसाद गुप्ता वगै०

वाद संख्या –151 / 2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
15/12/23	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा– हेसला, थाना– बगोदर, अंचल–बगोदर, जिला– गिरिडीह, खाता न०– 67, प्लॉट न०– 427, रकवा– 13 डी० मद्ये 6. 5 डी० , चौहद्दी– उ०– नीज, द०– परती कदीम, पू०– रघुनाथ साव, प०– नीज गोबिन्द गोप पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया। उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को वाद में रूचि नहीं है। अंचल अधिकारी बगोदर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में बतलाया गया है वाद की भूमि रैयती खाते की है एवं प्रथम पक्ष कुमारी अनुराधा तथा सावित्री देवी के नाम से पंजी–*II* के पृष्ठ संख्या–179 पर जमाबंदी दर्ज है। चुँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा की प्रभावी अवधि 60 दिनों की है तथा उभय पक्ष के द्वारा कोई कारण पृच्छा दाखिल नही की गई है। अतः उक्त वाद में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नही है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित, 15/12/23 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया। 15/12/23 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया।	

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 13:47:58 +05:30
Location: 192.168.1.3